

प्रेस नोट थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर दिनांक 20.06.2024

अवैध कूटरचित दस्तावेजों द्वारा धोखाधड़ी कर पैसा गबन करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में उ0नि0 सुशील कुमार मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 45/2023 धारा 419,420,467,468,471,406 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्ता अमृता गुप्ता उर्फ लकी को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्ता द्वारा अवैध कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से धोखाधड़ी कर अपनी मृतका माँ के बैंक खाते में जमा धनराशि कुल 24,84,217 रूपये निकाल लेने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

अमृता गुप्ता उर्फ लकी पुत्री स्व0 दुर्गेश गुप्ता पत्नी सैय्यद कमर खुशनूर निवासी मिया बाजार दक्षिणी थाना कोतवाली गोरखपुर हाल पता काव्यांजली हाईट मोहदीपुर थाना कैण्ट गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण –

मु0अ0सं0 045/2023 धारा 419,420,467,468,471,406 भादवि थाना कोतवाली गोरखपुर।

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 045/2023 धारा 419,420,467,468,471,406 भादवि थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 143/2014 धारा 452,323,504,506 भादवि थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 331/2014 धारा 302,120बी भादवि थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 337/2014 धारा 436,406,427,507 भादवि थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
5. मु0अ0सं0 841/2020 धारा 504,506 भादवि थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 सुशील कुमार थाना कोतवाली, गोरखपुर
2. उ0नि0 संध्या मौर्या थाना कोतवाली गोरखपुर
3. हे0का0 जयराम गुप्ता थाना कोतवाली, गोरखपुर
4. म0का0 सरिता जैसवार थाना कोतवाली गोरखपुर